# BULANDSHAHR POLICE

**दिनांक 24 जून, 2022** **थाना डिबाई**

## अपहरण की घटना में वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अरमान अवैध असलहा मय कारतूस गिरफ्तार।

जनपद में पुरस्कार तलाश वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफतारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 24.06.2022 को प्रातः थाना डिबाई पुलिस क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 06 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में वांछित 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अरमान दानपुर की तरफ से लिंक रोड़ से गोविन्दपुर फाटक होते हुए अलीगढ़ की ओर जाने वाला है जिसके पास अवैध असलहा भी है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पंचमुखी चौराहे पर चैकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी अरमान को घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साइकिल व अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1. अरमान पुत्र नवाब निवासी मौ0 सराय थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

**बरामदगी-**

1. एक तंमचा 315 बोर मय दो जिंदा कारतूस
2. घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटर साइकिल नं0 यूपी-81बीवी-6596

गिरफ्तार अभियुक्त अरमान द्वारा पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ पिल्लारू द्वारा अपने मौहल्ले निवासी शहजाद के 06 वर्षीय बच्चे शादान का अपहरण करने की योजना बनायी गयी थी। अभियुक्त सिराजुद्दीन उर्फ पिल्लारू द्वारा बताया था कि शहजाद उसके साथ कालीकट केरल में कपडा/चादर बेचने का कार्य करता है। उसके बच्चे का अपहरण करे लेगे तो 4-5 लाख रूपये फिरौती मिल जायेगें। अभियुक्त अरमान को बाइक चलानी आती थी तथा पैंसो के लालच में वह भी अपहरण करने की योजना में शामिल हो गया था। दिनांक 31.05.2022 को योजनानुसार जब शहजाद का 06 वर्षीय बच्चा सादान अपने साथियों/बच्चों के साथ पास के गांव कसेर से बिल्ली का बच्चा लेने गया था इसी दौरान वापस गांव की तरफ आते समय अभियुक्त अरमान व मौ0 रिहान बच्चे को बाइक पर बैठाकर ल गये थे। बच्चे का अपहरण करने के पश्चात बच्चे को अभियुक्त मुसब्बिर जो पुराना अपराधी हैं, के सुपुर्द किया गया था। तत्समय घटना के संबंध में थाना डिबाई पर मुअसं-265/2022 धारा 364 भादवि पंजीकृत करते हुए पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर मात्र 12 घण्टे में अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए घटना में संलिप्त 04 अपहरणकर्ता सिराजुद्दीन उर्फ पिल्लारू व मौ0 रिहान पुत्र राहत अली निवासी नेहरू चौराहा थाना गुन्नौर जनपद संभल, शाहिद पुत्र इब्नेहसन व मुसब्बिर पुत्र अजर अली निवासीगण बूगाजीत नगलिया थाना जरीफनगर जनपद बदायूं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त अरमान लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. श्री सुभाष सिह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई
2. उ0नि0 विमल कुमार, उ0नि0 विक्रम सिंह।
3. का0 राजेन्द्र सिंह, का0 प्रदीप कुमार, का0 शेखर, का0 दीपक पुंडीर।

**<u>मीडिया सैल, बुलन्दशहर</u>**